कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश (सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक ::नवम्बर 08, 2011

## -:आदेश :-

मुख्यालय के आदेश संख्या-चेकपोस्ट-फार्म-38 व्यवस्था-0910045/ वाणिज्य कर , दिनांक 28-08-2009 से उ0प्र0 मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम की अनुसूची -1 मे घोषित करमुक्त माल के अतिरिक्त समस्त करयोग्य माल को उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तर प्रदेश के अन्दर लाने के लिये निर्धारित फार्म-38 (आयात हेतु घोषणा पत्र) को वाणिज्य कर विभाग की वेबवाइट से डाउनलोड करने के संबंध में यह व्यवस्था की गयी थी कि पंजीयन की तिथि से एक वर्ष तक के नये पंजीकृत व्यापारियों तथा 30 प्र0 मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम -2008 की धारा-19(3) मे दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत नकद प्रतिभूति जमा करके फार्म-38 प्राप्त करने वाले आयरन एण्ड स्टील तथा कोयले के व्यापारियों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के व्यापारियों को करयोग्य माल के आयात हेतु विभागीय वेबवाइट http://comtax.up.nic.in से फार्म-38 डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध होगी तथा प्रतिबन्धित श्रेणी के उक्त व्यापारियों को पूर्व की भाँति एडवान्स टैक्स जमा करने के बाद ही फार्म-38 मैनुअली कर निर्धारण कार्यालय से जारी किये जायेंगे।

- 2- वर्तमान में आयरन एण्ड स्टील तथा कोयले के अतिरिक्त रोड़ी / गिट्टी/ मौरंग / बालू / रेता / पिटया / पत्थर / बदरपुर / खण्डा पत्थर (इमारती पत्थर को छोड़कर) तथा रिफाइण्ड आयल एवं वनस्पित घी के व्यापारियों के लिए भी 30 प्र0 मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम की धारा-19(3) के अन्तर्गत अग्रिम कर जमा कराकर आयात घोषणा पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था लागू है । अतः इन वस्तुओं के व्यापारियों को भी विभागीय वेबसाइट से फार्म-38 डाउनलोड करने की सुविधा से विरत किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था जिसे शासन द्वारा पत्र संख्या-क0नि0-451/ ग्यारह 2-2011-9(207)/ 09 दिनांक 13-04-11 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ।
- 3- शासन से प्राप्त उक्त अनुमोदन के क्रम में समय समय पर संशोधित मुख्यालय के उक्त आदेश संख्या-चेकपोस्ट-फार्म-38 व्यवस्था-0910045/ वाणिज्य कर , दिनांक 28-08-2009 अग्रेतर संशोधन करते हुये निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है :-

पंजीयन की तिथि से एक वर्ष तक के नये पंजीकृत व्यापारियों को तथा 30 प्र0 मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-19 (3) मे दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत नकद प्रतिभूति जमा करके फार्म-38 प्राप्त करने वाले आयरन एण्ड स्टील एवं कोयले के व्यापारियों के अतिरिक्त रोड़ी, गिट्टी, मौरंग, बालू /रेता, पिट्या / पत्थर, बदरपुर, खण्डा पत्थर (इमारती पत्थर को छोड़कर), रिफाइण्ड आयल एवं वनस्पित घी के व्यापारियों के लिये भी वेब आधारित फार्म-38 प्राप्त करने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी। ऐसे व्यापारियों कों एडवान्स टैक्स जमा करने के बाद ही फार्म-38 मैनुअली कर निर्धारण कार्यालय से जारी किये जायेगे।

- 4- यह आदेश दिनांक 11-11-11 की रात्रि 12:00 बजे से प्रभावी होगें।
- 5- रोड़ी, गिट्टी, मौरंग, बालू रिता, पिटया / पत्थर, बदरपुर, खण्डा पत्थर (इमारती पत्थर को छोड़कर), रिफाइण्ड आयल एवं वनस्पित घी के व्यापारियों द्वारा यिद उक्त तिथि के पूर्व वेबसाइट से कोई फार्म-38 डाउनलोड कर रखा गया है, जो अप्रयुक्त है, तो वह ऐसे सभी फार्मों से आयात की जाने वाली वस्तु के लिये दिनांक 18-11-11 तक निर्धारित अग्रिम जमानत जमा करके सभी फार्मो पर कर निर्धारण अधिकारी से जमानत जमा करने से संबंधित आवश्यक विवरण, जो कार्यालय से मैनुअली फार्म-38 जारी करने की दशा में अंकित किए जाते हैं, अंकित करवा लेंगे परन्तु यदि इस अविध मे कोई माल ट्रान्जिट मे रहने के कारण फार्म पर जमानत जमा करने का अंकन कराना संभव नहीं है, तो जमानत का अंकन न होने के आधार पर ऐसे मामलों में व्यापारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- 6- समस्त कर निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यापारियों, जिन्हें वर्तमान मे रोड़ी, गिट्टी, मौरंग, बालू /रेता, पटिया / पत्थर, बदरपुर, खण्डा पत्थर (इमारती पत्थर को छोड़कर) रिफाइण्ड आयल एवं वनस्पति धी के आयात हेतु फार्म 38 के आनलाइन डाउनलोड की सुविधा प्राप्त है, को चिन्हित करते हुये उनको आनलाइन डाउनलोड की प्रदत्त सुविधा वेबसाइट पर

समाप्त करने की कार्यवाही भी उक्त तिथि तक पूर्ण करेंगें तथा इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी अपने ज्वाइन्ट किमश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराएंगे।

आदेश संख्या-चेकपोस्ट-फार्म-38 व्यवस्था-0910045/ वाणिज्य कर दिनांक 28-08-09 मे वर्णित एवं इसमे यथासमय किए गये संशोधन यथावत प्रभावी रहेंगें।

> ह्यः/ (चन्द्रभानु) कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश , लखनऊ ।

## पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2. संयुक्त सचिव,संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग,अनुभाग -2 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या-क0नि0-451/ ग्यारह -2-2011-9(207)/ 09 दिनांक 13-04-11 के संदर्भ में।
- 3. माननीय अध्यक्ष, वाणिज्य कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
- 4. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 5. अध्यक्ष / निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर , लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण वाणिज्य कर उ०प्र०
- 6. प्रबन्धक , इसेंटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग, / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ
- 7. महालेखाकार, 171-ए,अशोक नगर, इलाहाबाद।
- 8. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 9. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिसआफ दए0जी0 ाडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- 10. विकास आयुक्त,नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर-10, नोएडा।
- 11. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो०, 185 / 293, अमीनाबाद रोड,गणेश गंज, लखनऊ।
- 12. अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु,सी-15, मालएवेन्यू, लखनऊ।
- 13. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्यस्तरीय वाणिज्यकर सलाहकार समिति 29-बी, विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ।
- 14. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 , सिविल लाइन्स, कानपुर ।
- 15. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एंड इंण्ड० ४/180, विशाल खएड, पी०वी०-17,गोमती नगर, लखनऊ
- 16. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड,लखनऊ।
- 17. अवध चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इंड0,ऐशबाग, रोड, लखनऊ।
- 18. आल इंडिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4 , साइट सं0-3, मेरठ रोड, इंण्डस्ट्रीयल एरिया,गाजियाबाद।
- 19. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इंड0एसोसिएशन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 20. राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) के माध्यम से ।
- 21. उत्तर -प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इंजीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
- 22. शिव कुमार रोडा, एडवोकेट, महासचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो0जमुना बिहार, एस0 एस0 कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर।
- 23. श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस, आर0-15/5 राजनगर , गाजियाबाद ।
- 24. श्रीमती इन्दु मिश्रा ,इन्दु पब्लिकेशनस , RDC-51 राजनगर , गाजियाबाद ।

- 25. श्री मदनमोहन भारतीय , एडवोकेट सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण30प्र0शासन , 26/103, बिरहाना रोड,कानपुर
- 26. प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन, फकल्टी आफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।
- 27. प्रो0श्रीमती रंजना कक्कड़, 15,टैगोर टाउन, इलाहाबाद।
- 28. श्री बी0 एन0 राय, एडवोंकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0 टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी , सिगरा, वाराणसी ।
- 29. श्री अशोक धवन, सी के -24/1, कुँज गली, चौक, वाराणसी।
- 30. श्री उमंग अग्रवाल, जनरल सेक्नेटरी (FTTA) 77/3 ए एन0के0जैन मार्केट, कुली बाजार, कानपुर ।
- 31. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उार प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर1
- 32. श्री ब्रित चावला, महासचिव(पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी ) 30प्र0 ट्रक आपरेटर्स, फेंडरेशन (रजि0), पुलदाल मंडी , सहारनपुर
- 33. श्री आर0 डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
- 34. श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उार प्रदेश , 19-सुरेशबाग, कानपुर ।
- 35. इन्डियन इंड0एसो0 , 159/ए-8,15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।
- 36. संयोजक, टैक्सेशियों एकैडिमक एंड वेलफेयर फोरस एसो0 वेस्टर्न यू0पी0(रिज0) 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ।
- 37. टैक्सेशन बार एसोसिएशन कार्मिशयल टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस , आगरा ।
- 38. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 50-बी,उद्योग नगर, कानपुर
- 39. श्री अनिल कुमार बंसल, दि० यू०पी० रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो०-३ एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ।
- 40. श्री दिनेश अरोरा, उ०प्र० वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो०, 51/58-ए, शक्कर पटटी, कानपुर ।
- 41. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ०प्र० टेट व्यापार एसो० ५६५/५६६,राजेन्द्र नगर ,लखनऊ।
- 42. श्री अरुण कुमारअवस्थी, प्रान्तीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीयउद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ
- 43. श्री गोपाल अग्रवालराष्ट्रीय महामंत्री आल इंडियाउद्योग व्यापारप्रतिनिधि मंडल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ।
- 44. श्री दिनेश चन्द्र, उपाध्यक्ष, उ०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, ६/६-ए, बी०एन०रोड,अमीनाबाद, लखनऊ ।
- 45. अध्यक्ष, आई0 ाई0ए0 इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खंड,फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ।
- 46. वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ।
- 47. वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मंडल उपाध्यक्ष , अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) मंडल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस ।
- 48. समस्त अनुभाग / अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय-लखनऊ।
- 49. सचलदल अनुभाग मुख्यालय को 25 प्रतियाँ अतिरिक्त ।

(एम0के0श्रीवास्तव) ज्वाइन्ट कमिश्नर(सचलदल)वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।